पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली सन् 2006 में दिनांक 17.11.2006 को पूर्व न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई तथा पत्रावली में अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी किये तथा उन पर जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिक दिनांक 22.12.2006 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 जगन की कायमी मुकाम की कार्यवाही तथा अप्रार्थी सं0 1 व 3 हेतु सही पता पेश करने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2006 की पालना आज दिनांक तक नही की हे प्रकरण में आदेश की पालना के लिए लगभग 14 वर्षो से अधिक का समय हो चुका है एसी स्थिति में प्रकरण न्यायालय के आदेश की पालना के अभाव में खारिज किये जाने योग्य प्रतित होता है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2006 के आदेश की पालना के अभाव में अदम तकमील आदेश में खारिज किया जाता है। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर